कार्यालय–जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ0ग0)

//विज्ञापन//

क्रमाँक 67 /जि.वि.से.प्रा.(LADCS)/2025 बैकुण्ठपुर, दिनाँक 08/01/2025

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 06/02/2025 संध्या 05:00 बजे तक

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैकुण्ठपुर जिला कोरिया छ0ग0 अंतर्गत संविदात्मक नियुक्ति के रूप में कार्यालय सहायक/क्लर्क, एवं कार्यालय भृत्य (मुशी/अटेन्डेंट) कर्मचारियों के निम्नांकित रिक्त पदों पर संविदात्मक भर्ती हेतु जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरिया, बैकुण्ठपुर में दिनाँक **06/02/2025** के संध्या **05:00** बजे तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:–

क्र0	रिक्त पद का विवरण	रिक्त पदों की संख्या
01	कार्यालय सहायक/कर्ल्क	2
02	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)	2

टीप :–क. परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरिया, बैकुण्ठपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

ख. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा नियुक्ति दिनांक से 1 वर्ष की अवधि के लिये ही है। नियुक्ति किये गये स्टाफ की उपस्थिति कार्यप्रणाली संतोषप्रद व्यवहारिक एवं व्यवस्थित होने तथा नालसा के निर्देशानुसार कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है अथवा संतोषजनक कार्य नहीं पाये जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

ग. छत्तीसगढ शासन द्वारा वर्तमान में संविदा कर्मचारियों के लिये सेवा शर्तो के लिए निर्धारित परिपत्र/नियम/शर्तो के प्रावधानों के आधीन शासित होंगे

1. भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए

(1) **कार्यालय सहायक/क्लर्क पद के लिये–**

अ– **वेतनमान क्लास–सी :– संविदा एकमुश्त 15,000/रू0 मासिक)**

ब– **शैक्षणिक योग्यता –**

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।
2. बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कम्प्युटर संचालित करने की क्षमता और डेटा फीड करने का कौशल होना चाहिये।
3. पेपर की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग गति की दक्षता होनी आवश्यक है।
4. श्रुतलेख लेने और न्यायालयों में प्रस्तुति के लिए फाइलें तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए।
5. फाइल रखरखाव और प्रसंस्करण का ज्ञान होना चाहिए।

(2) **कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) पद के लिये –**

अ– **वेतनमान क्लास–सी :– संविदा एकमुश्त 9,000/रू0 मासिक)**

ब– **शैक्षणिक योग्यता –**

किसी मान्यता बोर्ड से कक्षा आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण हो। सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण–पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें ।

2. आयु एवं पात्रता
(कार्यालय सहायक/क्लर्क, एवं कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)

(1) आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में अभ्यर्थी चाहे तो रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करते हुये, रोजगार कार्यालय के पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर प्रस्तुत कर सकता है।

(अ)– कोई भी उम्मीद्वार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के पात्र नहीं होगा।

(ब)– कोई पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित है और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परंतु यदि शासन को इस बात का समाधान हो जाये कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) किसी भी परिस्थिति मे अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्य के आवेदको के लिये अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।

(4) आवेदक किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।

3. उच्चतर आयु सीमा में छूट

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीद्वारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :–

3(एक) (1)– यदि अभ्यर्थी छ0ग0 शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

3(एक) (2)– छ0ग0 शासन स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छ0ग0 राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत् कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

3(एक) (3)– ऐसे अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष की कालावधि, भले ही कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के अनुज्ञात किया जायेगा परन्तु उसके परिणाम स्वरूप आयु सीमा 03 वर्ष से अधिक न हो।

<u>स्पष्टीकरण</u> :–छंटनी किये गये शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 06 माह तक रहा हो तथा किसी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

3(एक) (4)– ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप में आये निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

3(एक) (5)– महिलाओं के लिए आयु में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी, जो उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

3(एक) (6)– शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 06 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

3(एक) (7)– विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

3(एक) (8)– स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 08 वर्ष की सीमा में अध्यधीन रहते हुये दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

3(एक) (9)– संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 43 वर्ष की आयु सीमा तक होगी।

3(एक) (10)– शारीरिक रूप से अक्षम सेवा योग्य (दृष्टिहीन, श्रवणबाधित तथा अस्थिबाधित के उम्मीदवारों) व्यक्तियों के लिये 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

3(दो) (1)– आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण सहभागी को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

नोट :– आयु सीमा में छूट हेतु सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम8 अधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

3(दो) (2)– विक्रम पुरस्कार प्राप्त सम्मानित खिलाड़ियों एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं प्रचलित शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीप– (1)– बिन्दु क्रमांक–3 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2)– बिन्दु क्रमांक–3 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा को सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक प्रकार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट बिन्दु क्रमांक 03 में दी गयी विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरणः– यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ–साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतत आयु सीमा 05 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(3) उपरोक्त 3 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

नोट :– अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आयु सीमा छूट एवं निर्योग्यता सामान्य प्रशासन विभाग (छ०ग० शासन) द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश अनुसार भी लागू रहेगा।

4. आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

(1) विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्णतः साफ सुथरा भरे हुए बंद लिफाफे में जिसके ऊपर आवेदित पद का नाम **मोटे अक्षरों में उल्लेखित हो**, को कार्यालय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ0ग0), पिन– 497335 में दिनाँक **06.02.2025** की संध्या **05.00** बजे तक कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स में जमा करना होगा । डाकघर या स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित आवेदन भी स्वीकार किये जावेगे।

(2) आवेदन पत्र के साथ **जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र** (शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत् शासकीय सेवकों को छोड़कर), की अभिप्रमाणित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(3) अभ्यर्थी को एक से अधिक पद के लिये आवेदन हेतु पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया

कार्यालय सहायक/क्लर्क, (संविदा) के पद के लिये :–

प्रथम चरण : लिखित परीक्षा

आवेदकों की संख्या अधिक होने पर नियोक्ता के विवेकाधीन एक लिखित स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसके सभी 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का एक–एक अंक होगा। **प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के चार विकल्प दिये जावेंगे, जिनमें से सही उत्तर पर सही (√) का चिन्ह नीले अथवा काले बॉल प्वाइंट पेन से अंकित करना होगा।**

नोटः– अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक विकल्प पर ही सही (√) चिन्ह अंकित करना होगा। सही (√) चिन्ह को (X) लगाकर पुनः दूसरे विकल्प पर सही (√) का निशान लगाने से उत्तर सही होने पर भी गलत उत्तर माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा सही (√) चिन्ह के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का निशान अंकित करने पर भी उत्तर सही होने पर गलत माना जायेगा।

उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित एवं समसामयिक विषयों के अंतर्गत होंगे, उक्त परीक्षा की अवधि केवल 01 घंटे की होगी। उक्त लिखित परीक्षा के मेरिट के आधार पर एक पद पर 15 के अनुपात में आवेदकों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण हेतु बुलाया जा सकेगा।

द्वितीय चरण : कौशल परीक्षा
कार्यालय सहायक/क्लर्क, (संविदा)

1.कार्यालय सहायक/क्लर्क पद हेतु :– कौशल परीक्षा 250 अंकों की होगी। उम्मीदवारों को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 05 मिनट का हिन्दी श्रुतलेख दिया जावेगा जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 45 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कम्प्यूटर पर **उबन्टू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस** में टाईप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिये 1/5 अंक काटा जावेगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईपिंग की प्रत्येक अशुद्धि के लिये होगा।

टीप :– कौशल परीक्षा में सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

मेरिट सूची :–कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी। चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उसें प्राथमिकता दी जावेगी। यदि दोनों अभ्यर्थी की जन्मतिथि समान होगी तो स्नातक में अधिक अंक प्राप्त करने वाले का प्राथमिकता दी जावेगी। यदि दोनों अभ्यर्थी की स्नातक में भी समान अंक होने पर स्नातकोत्तर में प्राप्त अंक, स्नातकोत्तर नहीं होने पर कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी।

(ब) चयन प्रक्रियाः–उक्त लिखित परीक्षा के वरीयता सूची के आधार पर सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जावेगा। चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उसे प्राथमिकता दी जावेगी। यदि दोनों अभ्यर्थी की जन्मतिथि समान होगी तो कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी। **चयन एवं प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।**

5. नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया

कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) के पद हेतु :–

रिक्त पदों एवं उचित पाये गये आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुये माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महोदय, कोरिया बैकुण्ठपुर के द्वारा साक्षात्कार के लिये पात्रता निर्धारण हेतु नियम/प्रक्रिया विहित की जा सकेगी एवं तत्संबंध में जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महोदय, कोरिया बैकुण्ठपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। जारी पदों के **बीस गुणा** अभ्यर्थियों की सूची उनके कक्षा आठवीं के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर वरीयता क्रम में तैयार की जावेगी तथा इस सूची में आने वाले अभ्यर्थी को ही **कौशल परीक्षा** के लिए बुलाया जावेगा। साक्षात्कार कुल 15 अंक का होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित कराने का अधिकार सुरक्षित होगा।

साक्षात्कार उपरांत अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उसे प्राथमिकता दी जावेगी।

"परीक्षा एक दिवस में समाप्त नहीं होने पर आगामी तिथि को भी लिया जावेगा ।"

6. अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी

प्रत्येक आवेदक को चाहिये, कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी के साथ भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र को चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

पदों हेतु निर्धारित योग्यता विज्ञापन तिथि तक पूर्ण होने चाहिये।

7. अन्य आवश्यक सूचनाएँ

A नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ0ग0) को होगा।

B उपरोक्त पदों पर मेरिट सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिये वैध होगी।

C प्रत्येक पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जावेगी, तथा कार्यालय के वेबसाईड **https://korea.dcourts.gov.in** में भी अपलोड किया जावेगा। दावा आपत्ति निर्धारित तिथि के शाम 05.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी, **तत्पश्चात् किसी भी दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।**

F परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा आगामी तिथि निर्धारित कर एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

नोट :– पात्र अभ्यर्थियों को वस्तुनिष्ठ एवं कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र कार्यालय के वेबसाईड के अलावा अन्य किसी भी माध्यम से नहीं भेजा जावेगा। **अतः अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे कार्यालय के वेबसाईड का सतत् अवलोकन करते रहें।**

H प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे तथा उक्त अवधि के पश्चात् "सूचना के अधिकार अधिनियम" के अंतर्गत प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।

स्थान :– बैकुण्ठपुर
दिनाँक :– 06.01.2025

अध्यक्ष
चयन समिति
कार्या0जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ0ग0)